प्रेस विज्ञप्ति

06.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने एनटीपीसी, विंध्यनगर, सिंगरौली के पूर्व अपर महाप्रबंधक (बिजनेस एक्सीलेंस) राकेश कुमार उपाध्याय के विरुद्ध धन शोधन जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत लगभग 3.15 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों का अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई है।

सीबीआई केस राकेश कुमार उपाध्याय द्वारा 23.09.2007 से 30.11.2019 की जांच अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से असंगत संपत्तियां अर्जित करने से संबंधित है। जांच के दौरान यह पाया गया कि राकेश कुमार उपाध्याय ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में असंगत संपत्तियां अर्जित की थीं। जहां सीबीआई की प्राथमिकी में इन असंगत संपत्तियों का मूल्य प्रारंभिक रूप से 1.39 करोड़ रुपये (52.95 प्रतिशत) आंका गया था, वहीं बाद में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र में इसे संशोधित कर 1.96 करोड़ रुपये अर्थात उनकी ज्ञात वैध आय का 76.57 प्रतिशत बताया गया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत की गई जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों द्वारा अनेक बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था, जिनमें 40.37 लाख रुपये की संरचित नकद जमा की गई। इन धनराशियों को विभिन्न बैंक खातों के बीच बार-बार लेयरिंग कर अंततः एक सावधि जमा में परिवर्तित किया गया, जिसका वर्तमान मूल्य 1.88 करोड़ रुपये है। इस प्रकार यह भी अपराध से अर्जित आय का हिस्सा है। जांच में यह भी पाया गया कि वाराणसी के चितईपुर स्थित राजीव नगर में निर्मित आवासीय मकान का निर्माण जांच अवधि के दौरान अर्जित अज्ञात स्रोतों की धनराशि से किया गया था।

तदनुसार, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध से अर्जित आय तथा उससे सृजित परिसंपत्तियों के रूप में लगभग 3.15 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इनमें 1.26 करोड़ रुपये मूल्य का आवासीय मकान तथा 1.88 करोड़ रुपये की सावधि जमा शामिल है।